

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 204 / 11-सी- FP/UP/Approach150358/2021, लखनऊ, दिनांक: जुलाई 22, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- जनपद-हापुड में Construction of Mahadev Picnic Spot for ECo-Tourism propose b/w Ch. 88+690 to 88+750. Khasra No. 2531 of NH-09 R.H.S in Village- Gar Banger, Tehsil-Garhmukteswar, District-Hapur हेतु 0.048 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग का बिना वृक्ष की अनुमति के सम्बन्ध में।
प्रस्ताव FP/UP/Approach150358/2021

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक-8बी०/यू०पी०/०६/175/2023/एफ०सी०/370, दिनांक-13.10.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण कर वांछित सूचना/अभिलेख वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ ने अपने पत्रांक-202/14-1, दि० 15.07.2024 द्वारा ऑनलाईन प्रेषित किया गया है।

अतः वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ द्वारा ऑनलाईन अपलोड कर प्रेषित की गयी बिन्दुवार आपत्ति का निराकरण इस अनुरोध के प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

(प्रमोद कुमार गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 204 / 11-सी- FP/UP/Approach150358/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड वन प्रभाग, हापुड।
- 3- प्रोपराईटर, महादेव पिकनिक स्पॉट, इको टयूरिज्म परपज, गढ़बांगर, हापुड।

(प्रमोद कुमार गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 204 / 11-सी- FP/UP/Approach150358/2021 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, लखनऊ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रमोद कुमार गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक यानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ

(223/1 सिविल लाइन मेरठ-260001)

पत्रांक 202 / 14-1 दिनांक, मेरठ 15, जुलाई, 2024

सेवा में

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय- जनपद हापुड़ में Construction of Mahadev Picnic Spot for Eco-Tourism purpose b/w Ch-88+650 to 88+750, Khasra No.- 2531 of NH-09 R.H.S in Village-Garh Banger, Tehsil-Garhmukteswar, District Hapur हेतु 0.048 हेठ संरक्षित वनभूमि के पर्यायनिकी प्रयोग का विना वृक्ष की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अप्रोच/150358/2021)।

सन्दर्भ:- 1-उप वन महा निरीक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), भारत सरकार का पत्रांक-8वी/यू0पी0/06/175/2023/एफ0सी0/370, दिनांक 13.10.2023।

2-आपका पत्रांक 1015/11-सी/FP/UP/Approach/150358/2021, दिनांक 16.10.2023।

3-प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ का पत्रांक 4061/14-1, दिनांक 14.06.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके संदर्भित पत्र से प्राप्त उप वन महा निरीक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), भारत सरकार का पत्रांक-8वी/यू0पी0/06/175/2023/एफ0सी0/370, दिनांक 13.10.2023 से लगायी गयी आपत्ति का निरंतरण प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ ने अपने संदर्भित पत्र से निम्न प्रकार किया है:-

S.No.	Observation	Compliance
1.	The proposed CA area falls under River Catchment area. This needs clarification from management point of view.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का डिजिटल मैप के0एम0एल0 फाईल अतिरिक्त स्थल का चयन कर अपलोड कर दी गयी है।
2.	Net suitable area for CA plantation as per DSS report is 0.090 ha. which is lower than the actual required CA land area. CA area needs to be provided in double the area proposed for diversion i.e., 0.048 ha. x 2 = 0.096 ha. and accordingly, CA scheme for plantation of minimum 100 trees in an area of 0.10 ha. needs to be provided at the rate of min. 1000 plants/ha instead of providing plantation for 154 trees. Thus, CA scheme and all related documents needs to be revised and uploaded on portal.	CA area revised and CA Scheme prepared as per new area i.e 0.096 ha. Tree plantation changed accordingly.
3.	As per the Land Suitability Certificate, the proposed CA land area is 0.048 ha, which should be provided in 0.10 ha. as per the CA scheme for plantation of 100 trees. This needs rectification and uploaded on portal.	लेण्ड सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया गया है।

4.	The visibility of the approved layout plan is poor. This needs to be re-uploaded on PARIVESH Portal with high DPI.	High resolution layout plan in high DPI is uploaded on Parivesh Portal.
5.	There is a filling station of IOCL on opposite side and a Yatri Dhaba alongside if the proposed area for diversion. Also, there are other dhabas as well in the vicinity. DFO needs to clarify if approval under FCA for approach access to all these establishments has been accorded/sought?	अधिकांश स्थलों पर भारत सरकार के पूर्व अनुमति प्राप्त की गयी है तथा स्थलों की जाँच भी की जा रही है।
6.	The proposal is for approach access and not for construction of site so title of proposal needs to be amended.	This has been to be requested that title of proposal is not changeable at this stage on parivesh portal.
7.	No objection certificates from Pollution Board and Fire dept. needs to be submitted.	No Objection Certificate from Pollution Board and Fire department is in progress. It will be submitted before final approval. Undertaking in this regard is uploaded on parivesh portal.

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

पत्रांक 202/14-1, दिनांकित।

प्रतिलिपि-प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़ को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(रमेश चन्द्र)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ।

(रमेश चन्द्र)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ।